

प्रेषक,

राजीव कुमार पालीवाल,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-15, आगरा।

सेवा में,

माननीय महा निबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा-

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय,
आगरा।

विषय:- **पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० 9792 / VIIb -104 / Admin D Section Dat: 19.07.2024 के सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक सादर अवगत कराना है कि शासनादेश सं० 14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301 (1) 2024 दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं० 20 / 2024 / सा-3-276 / दस-2024 / 301(1) 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर **पुरानी पेंशन योजना (O.P.S)** में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्रीमानजी से विनम्र निवेदन है कि उचित कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक: 25.07.2024

पत्रांक सं. 3849/ख
अग्रसारित दिनांक 25.7.24

जिला जज, आगरा
25.7.24

भवदीय,

(राजीव कुमार पालीवाल,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-15, आगरा।
J.O. U.P.-6305

संलग्नक:-

शासनादेश सं० 14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301(1) 2024
दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं० 20 / 2024 / सा-3-276
/ दस-2024 / 301(1) 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024, के अनुक्रम में विकल्प पत्र।

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-278/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 का संलग्नक:-

विकल्प पत्र

- | | |
|---|---|
| 1. नाम | राजीव कुमार पालीवाल |
| 2. वर्तमान पदनाम | अपर जिला जज, आगरा |
| 3. वेतनमान | 144840-194880, (लेविल जे-5) |
| 4. वर्तमान विभाग का नाम | न्याय विभाग |
| 5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम | लोक सेवा आयोग, उ०प्र० |
| 6. विज्ञप्ति की तिथि | 15, नवम्बर 2003
(विज्ञापन सं० A-2/E-1/2003)
(प्रकाशित 22-28, नवम्बर 2003, रोजगार समाचार)
28 मई 2008, उ०प्र० शासन नियुक्ति अनुभाग-4
सं० 2430/दो-4-08-32(1)/2001 टी.सी.-1
19.08.2008, |
| 7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि | 10.10.1971 |
| 8. योगदान की तिथि | 31.10.2031 |
| 9. जन्म तिथि | |
| 10. सेवानिवृत्ति की तिथि | |

मैं **राजीव कुमार पालीवाल** पुत्र श्री **उमेश कुमार पालीवाल** शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना (✓)** में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर

नाम-राजीव कुमार पालीवाल
पदनाम-अपर जिला जज, आगरा

घोषणा पत्र

मैं **राजीव कुमार पालीवाल** पदनाम **अपर जिला जज, आगरा** यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम-राजीव कुमार पालीवाल
पदनाम-अपर जिला जज, आगरा

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री **राजीव कुमार पालीवाल** पदनाम **अपर जिला जज, आगरा** को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (✓)** में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

25/07/2024, 18:23

Sent Items - AHC-Email

Subject: Letter No-3849-XV Dated 25-07-2024 Agra Judgeship Agra :- Re :- पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में।

From: District Court Agra <dcagr@allahabadhighcourt.in>

Date: Jul 25, 2024, 6:13:35 PM

To: Registrar General <rg@allahabadhighcourt.in>

Sir,

Please find the attachment(s) for compliance / necessary action, information & records.

With Regards,
Agra Judgeship, Agra



Attachments:

Letter No-3849-XV Dated 25-07-2024 Agra Judgeship Agra.pdf